

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प 4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12983 / 5449

दिनांक :- 28.05.2020

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री सोनल सिंह [लिंक न. 12983] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एक्स काडर), जयपुर - [1000337] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 02/12/2019 से 06/12/2019 तक 5 दिवस (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)

कुल 5 दिवस

उक्त कुल 5 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री सोनल सिंह की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प 4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12983 / 5449

दिनांक :- 28.05.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एक्स काडर), जयपुर
2. कोषाधिकारी जयपुर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री सोनल सिंह [12983] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एक्स काडर), जयपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)